भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2267

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025

बजट आबंटन में की गई कमी

2267. श्रीमती प्रतिमा मंडल

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" के पिछले वादों के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करने वाले महत्वपूर्ण शिक्षा और कल्याण योजनाओं, जिसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियां और मदरसा शिक्षा के लिए योजनाएं शामिल हैं, के लिए 2025-26 के केंद्रीय बजट में बजट आवंटन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार कटौती को समाप्त करने और पर्याप्त वित्तपोषण बहाल करने की योजना बना रही है ताकि विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले अल्पसंख्यक युवा की पहुंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के अवसरों तक हो सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट 3183.24 करोड़ रुपये था, जबकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बजट आवंटन 3350.00 करोड़ रुपये है। इसलिए, अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट बढ़ाया गया है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसलिए, केवल कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्र ही अन्य मंत्रालयों/विभागों की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज को भी केवल कक्षा IX और X तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 से आगे कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट में बजट आवंटन कम कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मदरसों/अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) को 2020-21 तक लागू किया और फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया। चूंकि इस योजना को केवल 2021-22 तक के लिए मंजूरी दी गई थी, इसलिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस योजना को केवल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लागू किया।

****